भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1372

09 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: समेकित बागवानी विकास मिशन

1372. डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार जो समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को कार्यान्वित कर रही है वह उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाई है जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने योजना का मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम रहे और इसकी कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए;

(ग) महिलाओं, विशेषकर अजा/अजजा और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं को बागवानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एमआईडीएच के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता का स्वरूप क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान एमआईडीएच के अंतर्गत तमिलनाडु और महाराष्ट्र में शामिल किए गए जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या एक पुष्पकृषि इकाई की स्थापना करने या पौली हाऊस में फूलों का उत्पादन करने के लिए एमआईडीएच में किसी प्रकार की सहायता दी जाती है; और

(च) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में बागवानी क्षेत्र के समेकित और सर्वांगीण विकास हेतु सरकार की नई पहलें क्या हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क): समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) जो पूरे देश में बागवानी के समग्र विकास के लिए शुरू किया गया था और यह बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि,उत्पादकता में सुधार और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने के अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा है। तीसरे अग्रिम अनुमान, 2019-20 के अनुसार, देश में 26.20 मीलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल से 319.57 मिलियन मीट्रिक टन का उच्चतम उत्पादन दर्ज किया है।

(ख): एमआईडीएच योजना के प्रभाव का मूल्यांकन विकासात्मक निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) नीति आयोग और एक स्वतंत्र एजेंसी अर्थात मेसर्स ग्लोबल एग्री

सिस्टम प्रा.लि., गुड़गांव द्वारा करवाया गया था। प्रमुख निष्कर्षों से पता चलता है कि योजना ने अधिकतर मापदंडों ने पर्याप्त प्रगति दिखाई है और कई परिणामी संकेतों के लिए लक्ष्यों का 100 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि को इंगित करता है। एकड़ में हुई वृद्धि और उच्च उत्पादन के संदर्भ परिणामी संकेतकों पर प्रगति प्रमुख परिणामों की उपलब्धियों को रेखांकित करती है। दोनों मूल्यांकन एजेंसियों ने एमआईडीएच योजना को 31.03.2021 से आगे जारी रखने की सिफारिश की है।

(ग): अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं सहित सभी लाभार्थियों के लिए योजना के विभिन्न घटकों के लिए सहायता का स्वरूप निर्धारित लागत मानदंडों के 35 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक है।

सामान्य श्रेणी की तुलना में अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों के लाभार्थियों को उच्च दर पर बागवानी मशीनीकरण सहायता प्रदान की जाती है।

(घ): पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एमआईडीएच के तहत तमिलनाडु और महाराष्ट्र में शामिल जिलों की सूची **अनुबंध-I** पर है।

(ड.): एमआईडीएच के तहत, देश में पुष्प खेती क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। लागत मानदंड और सहायता के स्वरूप का विवरण **अनुबंध-II** पर है।

(च): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बागवानी उपज के नुकसान को कम करने के लिए कटाई पश्चात प्रबंधन के घटकों पर अधिक ध्यान दिया गया है। नई तकनीकों को अपनाने और संरक्षित खेती के तहत फसलों को उगाने के लिए भी और किसानों को पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त करने के लिए ऑफ सीजन सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही में, मंत्रालय ने किफायती लाभ को प्राप्त करने और बागवानी क्षेत्र की विशाल क्षमता का दोहन करने के लिए बागवानी के कलस्टर आधारित विकास के लिए योजना बनाई है।

अनुबंध-I

एमआईडीएच के तहत तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कवर किए गए जिलों की सूची निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	**कवर किए गए जिले**
तमिलनाडु	कोयंबटूर, धर्मपुरी, डिंडीगुल, कन्याकुमारी, कृष्णगिरि, मदुरई, पुदुकोट्टई, सलेम, थेनी, तिरुचिरापल्ली, तिरुनलवली, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विरुमनगर, तंजोर, पेरामबलुर, कुड्डालोर, इरोड, नीलगिरि और रामपुरम
महाराष्ट्र	हिंगोली, जलगाँव, उस्मानाबाद, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, रायगढ़, रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग, थाने, वर्धा, वाशिम, यवतमाल, धुले, नंदुरबार, अहमदनगर, कोल्हापुर, नाशिक, पुणे, सांगली, सतारा, सोलापुर, गढ़चिरोली, औरंगाबाद, बीड, जालना, लातूर, नांदेड़, परभणी, चंद्रपुर, गोंदिया और नागपुर।

क्र. सं.	**मद**	**लागत मानदंड**	**सहायता पद्धति**
I. क्षेत्र विस्तार (अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी के लिए)			
(i)	कटे हुए फूल	1.00 लाख रूपए/हेक्टेयर	लघु एवं सीमांत किसानों के लिए लागत का 40 % तथा सामान्य क्षेत्रों में अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का 25 प्रतिशत, पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य, टीएसपी क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में लागत का 50 प्रतिशत।
(ii)	बुलबुलस फूल	1.50 लाख रूपए/हेक्टेयर	
(iii)	खुले फूल	0.40 लाख रूपए/हेक्टेयर	
II	**संरक्षित खेती**		
(i)	पौध सामग्री की लागत एवं पॉली हाउस/शेड नेट हाउस के तहत ऑरकिड एंव ऑरथुरियम की खेती	700 रूपए/वर्ग मी.	4000 वर्ग मीटर प्रति लाभार्थी तक सीमित लागत का 50 प्रतिशत
(ii)	पौध सामग्री की लागत एवं पॉली हाउस/शेड नेट हाउस के तहत कारनेशन एंव गरबेरा की खेती	610 रूपए/वर्ग मी.	
(iii)	पौध सामग्री की लागत एवं पॉली हाउस/शेड नेट हाउस के तहत गुलाब तथा एंव लिलियम की खेती	426 रूपए/वर्ग मी.	

****